आकाशवाणी केन्द्र शिमला

01.08.2025 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

मंत्रिमंडल

प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से शिमला में शुरू होगा। दो सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी। कल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य चयन आयोग द्वारा टीजीटी व जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट देने के निर्णय पर अपनी मोहर लगाई। मंत्रिमंडल ने आगामी शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने और प्रदेश में एक बार लॉटरी सिस्टम खोलने का निर्णय भी लिया, ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी प्रदान की।

जयराम

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने प्रदेश में पुनः लॉटरी खोलने के मंत्रिमंडल के फैसले की कड़ी ओलाचना की है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने एक बार फिर लॉटरी को वैध कर दिया है, जो पहले भी लोगों के घरों को तबाह करने का कारण बनी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन्हीं कारणों के चलते लॉटरी को पहले भी बंद कर दिया गया था।

हिमाचल प्रदेश में आ लॉटरी को लीगलाइज कर दिया गया है। यानिकी लॉटरी जो बंद की गई थी, बंद इसलिए की गई थी कि बहुत सारे परिवार तबाह हुए, कई घर नीलाम हुए, कई लोगों ने आत्महत्या की, उस कारण से बंद की थी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के दौर में फिर से इसको लीगलाइज कर दिया जाए, ये फैसला लिया गया और जिसके कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से हालात ऐसे बनेंगे कि प्रदेश में वो ही स्थिति फिर से हमारे सामने आएगी।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के अहम विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं।

किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दो अगस्त शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा के दौरान नौ करोड़ 70 लाख से ज़्यादा किसानों को 20 हज़ार 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 2 हज़ार 200 करोड़ रुपये की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

केवल सिंह पठानिया

प्रदेश विधानसभा में उपमुख्य सेचतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। चंबा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री के जारी मिशन को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में ई–टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत उपदान का निर्णय भी उल्लेखनीय है। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को चंबा के अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले की शुभकामनाएं भी दी।

मौसम

प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक–रूक कर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी छह अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

वीओ – रितेश कपूर–*हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य के अनेक स्थानों में भूस्खलन के कारण अभी भी 2 सौ 91 सड़कें यातायात के लिए अवरूद्ध हैं। इसके अलावा 4 सौ 16 बिजली ट्रांसफार्मर और 2 सौ 19 पेयजल योजनाएं भी ठप्प हैं। प्रदेश को अब तक इस मानसून सीजन में कुल 1662 करोड़ रुपये से ज्यादा की सार्वजनिक सम्पति का नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 847 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 556 करोड़ रुपये की क्षति पहुंची है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के पांच जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला*

बैंकिंग–लॉ संशोधन–अधिनियम

बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम–2025 के मुख्य प्रावधान आज से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मानकों में सुधार करना और निवेशकों व जमाकर्ताओं की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 15 अप्रैल को अधिसूचित अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकों की ऑडिट गुणवत्ता में सुधार और सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर, निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। अधिनियम के प्रावधान अधिकतम ब्याज की सीमा में भी संशोधन करेंगे और इसे पांच लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये तक करेंगे। नया अधिनियम 1970 के संविधान संशोधन के अनुरुप सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल आठ वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष करेगा।